

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959

अध्याय - 2

मास्टर प्लान

3. **राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति:-**
- (क) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जायेगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।
- (ख) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।
4. **मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :-**
- (क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाये तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है।
- (ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जाये और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आयेगा।
5. **अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :-**
- (1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप से कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस से विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के संबंध में आक्षेप तथा सुझाव आमन्त्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।
- (2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान प्रभावित भूमि स्थित है,

मास्टर प्लान के संबंध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

- (3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर, जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अन्तिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।
- (4) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के संबंध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में उपबन्ध किये जा सकेंगे।

6. मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :-

- (1) प्रत्येक मास्टर प्लान तैयार किये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) राज्य सरकार मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।
- (3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान करने का निर्देश देते हुए, अस्वीकार कर सकेगी।

7. मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख :-

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहाँ मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वाक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आ जायेगा।

राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) अधिनियम, 1962 के उद्घरण

**THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL)
RULES, 1962**

[Notification No. F.4(32)LSG/A?59, dated 2-4-1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extra ordinary dated 8-6-1962, Page 118].

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 74 of the Rajasthan Urban improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government here by makes the following Rules, namely:

RULES

1. **Short title and Commencement :** (1) These rules may be called “The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules, 1962 ”
(2) These rules shall come into force from their publication in the official gazette.
2. **Definitions’ – In these rules, unless the subject of context otherwise requires :**
 - (1) “Act” means, The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959),
 - (2) “Trust” means a Trust as constituted under the Act,
 - (3) “Section” means a Section of the Act,
 - (4) Words and expression used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.
3. **Manner of publication of draft Master Plan and the contents there-of under section 5 (i).**

[“(1) “The draft master plan prepared by the Officer or, the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy there-of available for inspection at the office of the trust concerned and publishing a notice in the form “A” in the official Gazette and in at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of publication of the said notice.2 [If the officer or authority

appointed under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, the period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objection / suggestions with respect to the Draft of the Master Plan,”]2

(2) The notice referred to in the sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by Officer or the authority to each of the Local Body Operating in the area include in the Master Plan.

(3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following maps, plans & documents, namely:-

- (a) Town Map showing General Layout of the roads & streets in the town.
- (b) Base Map showing the Generalized existing land use pattern, such as residential, commercial, Industrial, Public & Semi-public uses etc.
- (c) Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern in the Urban area such as residential, commercial, Industrial, Public & Semi-public uses etc.
- (d) Written analysis and written statement to support the proposals.
- (e) Any other maps, plans or matter which the Officer or the authority deems fit or as the State Government may direct the Officer or the authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6 :

[(1) After considering the objections, and representation which may be received by the Officer or the authority appointed under Section 3 to prepare the Master Plan, the officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council [if constituted under Section 3(2) of the Act] finalize the Master Plan and submit the same to the State Government for approval.

(2) When the Master Plan has been approved by the State Government, it shall publish in the official Gazette, a notice in Form ‘B’ stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust / Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day”.]

-
1. Substituted by Clause 2 of Notification No. F.3(123)TP/36, 24-2-1970 vide C.S.R. 96 pub. in Raj. Gaz. Extra-ordin., Part IV-C, dated 24-2-1970 at page 329-331.
 2. Amended & Added vide Noti. No. F.7(19) TP/11/76 dated 21-09-1979 R.G. Pt. IV-C (i) dated 27-09-1979, page 339.
 3. Substituted by Clause 3 of Notification No. F.3(23) Tp/63, dated 24-2-1970 vide G.S.R. 96 pub. in Raj. Gaz. Extra-ordin., Part IV-C, dated 24-2-1970 at page 329-131.
 4. Substituted vide No. F.9(101) UDH/111/83, dated 27-10-1983 pub. in Raj. Gaz. 4(Ga) (i) dated 16-2.1984 pages 829.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक 10(3)न.वि.वि./3/80

जयपुर/दिनांक: 27/12/01

अधिसूचना

नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35, सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) सपठित धारा 2 की उपधारा (1) के बिन्दु संख्या (10) के अन्तर्गत प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को कोटा के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षैतिज वर्ष 2023 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है :-

राजस्व ग्रामों की सूची : तहसील लाड़पुरा

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	क्र सं.	राजस्व ग्राम का नाम
1.	नांदना उर्फ बड़गांव	2.	रामनगर
3.	नान्ता	4.	कुन्हाड़ी
5.	सकतपुरा	6.	भदाना
7.	गणेशपुरा	8.	डडवाड़ा
9.	खेड़लीपुरोहित	10.	खण्ड गांवड़ी
11.	दोस्तपुरा	12.	लाड़पुरा
13.	रामपुरा	14.	किशोरपुरा
15.	कोटड़ी	16.	गुमानपुरा
17.	बालाकुण्ड	18.	श्योपुरा
19.	केशोपुरा	20.	गणेशपुरा
21.	रंगबाड़ी	22.	आनन्दपुरा उर्फ फूटा तालाब
23.	सोगरिया	24.	रंग तालाब उर्फ काला तालाब
25.	अर्जुनपुरा	26.	बोरखेड़ा
27.	मानपुरा	28.	देवली अरब
29.	बोरखण्डी	30.	नया नोहरा
31.	तेखड़ा	32.	हनुवत खेड़ा
33.	रामचन्द्र पुरा	34.	राजनगर
35.	रायपुरा	36.	छत्रपुरा
37.	कन्सुआ	38.	अनन्तपुरा
39.	लखावा	40.	हाथीखेड़ा

- | | | | |
|-----|-----------------------|-----|------------|
| 41. | धाकड़खेड़ी | 42. | उम्मेदगंज |
| 43. | खेड़ा जगपुरा | 44. | सुखपुरा |
| 45. | दौलतगंज उर्फ नया गांव | 46. | बालीता |
| 47. | रोझड़ी | 48. | नयाखेड़ा |
| 49. | गिरधरपुरा | 50. | कंवरपुरा |
| 51. | रोटेदा | 52. | चन्द्रेसल |
| 53. | दसलाना | 54. | मण्डानिया |
| 55. | आंवली | 56. | झालीपुरा |
| 57. | रत कांकरा | 58. | बन्दा |
| 59. | धर्मपुरा | 60. | रानपुर |
| 61. | चकरानपुरा | 62. | कोयला तलाई |
| 63. | उम्मेदपुरा | 64. | भीमपुरा |

राज्यपाल की आज्ञा से
ह०
(एच. एस. भारद्वाज)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प0 10 (3) नविव/3/80

जयपुर, दिनांक 15/04/05

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य नियम, 1962 के नियम 4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-7 के अनुसरण में इसके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों के बारे में तैयार किये गये मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया है।

“क्षेत्र का नाम”

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-12-2001 के द्वारा यथा अधिसूचित “कोटा नगरीय क्षेत्र”

इस मास्टर प्लान की प्रति का निरीक्षण नगर विकास न्यास, कोटा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

-ह0-

(सी. एस. बेनीवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, कोटा।
4. मुख्य नगर नियोजक, राज. जयपुर को उनके पत्र क्रमांक टीपीआर 1115 / एमपी / कोटा / 3606 दिनांक 31-03-05 के संदर्भ में।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
6. रक्षित पत्रावली।

-ह0-

(दिलीप सिंह बारेठ)
उप नगर नियोजक

राजस्थान सरकार

नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: टीपीआर 1116/मास्टर प्लान/कैथून/2013/

दिनांक 16 मई, 2013

अधिसूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3 की उप धारा (1) सपठित धारा 2 की उप धारा (1) के बिन्दु संख्या 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 10 (3) नविव/3/80 दिनांक 27-12-2001 द्वारा कोटा नगरीय क्षेत्र में 64 राजस्व ग्राम सम्मिलित करते हुए उसका सिविक सर्वेक्षण करने एवं कोटा के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाने के लिए मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर को नियुक्त किया गया था। कोटा के नगरीय क्षेत्र में 33 अतिरिक्त राजस्व ग्राम समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02-02-2010 एवं दिनांक 13-08-2010 द्वारा और सम्मिलित किये गये है।

इस प्रकार कोटा मास्टर प्लान-2023 के नगरीय क्षेत्र में कुल 97 राजस्व ग्राम सम्मिलित है। उक्त नगरीय क्षेत्र में कैथून नगर पालिका स्थित है, जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है।

कैथून के इस प्रारूप मास्टर प्लान के अन्तर्गत नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के प्रस्ताव निम्न राजस्व ग्रामों में प्रस्तावित किये गये है :-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम
1	कैथून
2	भीमपुरा
3	आरामपुरा
4	जलखेड़ा

अतः कोटा मास्टर प्लान-2023 (पार्ट) के रूप में कैथून मास्टर प्लान-2023 के इस प्रारूप के संबंध में राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां एवं सुझाव मुख्य नगर नियोजक, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, राजस्थान जयपुर-302004, वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा अथवा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कैथून (जिला कोटा) के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। मास्टर प्लान के प्रारूप को दिनांक 16-05-2013 से 14-06-2013 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में नगर पालिका भवन, कैथून में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से संबंधित पुस्तिका मय मानचित्र कार्यालय नगर पालिका, कैथून से क्रय की जा सकती है।

-ह0-
(एन. के. खरे)
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(3)नवि/3/80 पार्ट-1

जयपुर,दिनांक: 04/09/2013

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35, सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) सपठित धारा 2 की उपधारा (1) के बिन्दु संख्या (10) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर को कोटा के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:-

राजस्व ग्रामों की सूची

जिला-कोटा

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी)
1.	नांदना उर्फ बड़गांव	NANDANA URF BARGAON
2.	राम नगर	RAM NAGAR
3.	नान्ता	NANTA
4.	कुन्हाड़ी	KUNARI
5.	सकतपुरा	SAKATPURA
6.	भदाना	BHADANA
7.	गणेशपुरा	GANESHPURA
8.	डडवाड़ा	DADWARA
9.	खेड़लीपुरोहित	KHERLI PROHITAN
10.	खण्ड गांवड़ी	KHAND GAORI
11.	दोस्तपुरा	DOSTPURA
12.	लाड़पुरा	LADPURA
13.	रामपुरा	RAMPURA
14.	किशोरपुरा	KISHOREPURA
15.	कोटड़ी	KOTRI
16.	गुमानपुरा	GUMANPURA
17.	बालाकुण्ड	BALAKUND
18.	श्योपुरा	SHEOPURA
19.	केशोपुरा	KESHOPURA
20.	गणेशपुरा	GANESHPURA
21.	रंगबाड़ी	RANGBARI
22.	आनन्दपुरा उर्फ फूटा तालाब	ANANDPURA URF FOOTA TALAB
23.	सोगरिया	SOGARIA
24.	रंग तालाब उर्फ काला तालाब	RANG TALAB URF KALA TALAB

25.	अर्जुनपुरा	ARJUNPURA
26.	बोरखेड़ा	BORKHERA
27.	मनपुरा	MANPURA
28.	देवली अरब	DEOLI ARAB
29.	बोरखण्डी	BHORKHANDI
30.	नया नोहरा	NAYA NOHRA
31.	तेखड़ा	TEKHRA
32.	हनुवत खेड़ा	HANUWANT KHERA
33.	रामचन्द्र पुरा	RAMCHANDER PURA
34.	राजनगर	RAJNAGAR
35.	रायपुरा	RAIPURA
36.	छत्रपुरा	CHHATARPURA
37.	कन्सुआ	KANSUWA
38.	अनन्तपुरा	ANNANTPURA
39.	लखावा	LAKHAWA
40.	हाथीखेड़ा	HATHI KHERA
41.	धाकड़खेड़ी	DHAKARKHERI
42.	उम्मेदगंज	UMMEDGANJ
43.	खेड़ा जगपुरा	KHERA JAGPURA
44.	सुखपुरा	SUKHPURA
45.	दौलतगंज उर्फ नया गांव	DAULATGANJ URF NAYA GAON
46.	बलीता	BALITA
47.	रोझड़ी	ROJHARI
48.	नयाखेड़ा	NAYAKHERA
49.	गिरधरपुरा	GIRDHARPURA
50.	कंवरपुरा	KANWARPURA
51.	रोटेदा	ROTEDA
52.	चन्द्रेसल	CHANDRESAL
53.	दसलाना	DESLANA
54.	मण्डानिया	MANDANIA
55.	आंवली	ANWALI
56.	झालीपुरा	JHALIPURA
57.	रत कांकरा	RATHKANKRA
58.	बन्दा	BANDA
59.	धर्मपुरा	DHARAMPURA
60.	रानपुर	RANPUR
61.	चकरानपुरा	CHAKRANPURA
62.	कोयला तलाई	KOYLA TALAI
63.	उम्मेदपुरा	UMMEDPURA
64.	भीमपुरा	BHIMPURA
65.	शम्भूपुरा	SHAMBHUPURA
66.	देवनगर उर्फ बोरतलाई	DEVNAGAR URF BORTALAI
67.	गोवर्धनपुरा	GORDHANPURA
68.	गंगायचा	GANGAYCHA

69.	गांवडी	GAONRI
70.	अरन्या	ARNYA
71.	रसूलपुर	RASOOLPUR
72.	खेडा रसूलपुर	KHERA RASOOLPUR
73.	भोजपुरा	BHOJPURA
74.	चडीन्दा	CHAREENDA
75.	आरामपुरा	ARAMPURA
76.	भीमपुरा	BHIMPURA
77.	छत्रपुरा	CHHATRAPURA
78.	मोतीपुरा	MOTIPURA
79.	नगपुरा	NAGPURA
80.	प्रहलादपुरा	PRAHALADPURA
81.	ताथेड	TATHER
82.	कैथून (नगर पालिका क्षेत्र)	KAITHOON (MUNICIPAL AREA)
83.	जालखेडा	JALKHERA
84.	बृजेशपुरा	BRIJESHPURA
85.	खेडली पाण्डया	KHERLI PADYA
86.	चैनपुरा	CHAINPURA
87.	रंगपुर	RANGPUR
88.	किशनपुरिया तकिया	KISHANPURA TAKIYA
89.	देवली माछियान	DEOLI MACHHIYAN
90.	नोटाना	NOTANA
91.	रामराजपुरा	RAMRAJPURA
92.	पिपल्दा शेखान	PIPALDA SHEKHAN
93.	राम खेडली	RAMKHERLI
94.	गोदल्याहेडी	GODLYAHERI
95.	मोरपा	MORPA
96.	रामनगर	RAMNAGAR
97.	जामपुरा	JAMPURA
98.	अभयपुर	ABHAIPUR
99.	लाडपुरा कैथून	LADPURA KAITHOON
100.	जाखोडा	JAKHORA
101.	किशनपुरा कैथून	KISHANPURA KAITHOON
102.	रूपारेल	ROOPAREL
103.	विजयपुरा	VIJAIPURA
104.	पाचन कुई	PACHAN KUI
105.	केवलनगर	KEWALNAGAR
106.	रूपपुरा	ROOPPURA
107.	बावडी खेडा	BAORI KHERA
108.	आलनिया	ALNIYA

जिला-बून्दी		
109.	जाखमुण्ड	JAKHMUND
110.	गोविन्दपुर बावड़ी	GOVINDPUR BAORI
111.	भोपतपुरा	BHOPARPURA
112.	संवर	SAWAR
113.	सीन्ता	SEENTA
114.	तीरथ	TEERATH
115.	महराना	MEHRANA
116.	विनायका	VINAYKA
117.	बल्लोप	BALLOP
118.	तुलसी	TULSI
119.	रामपुरिया	RAMPURIYA

राज्यपाल की आज्ञा से

—ह०—

(एन. के. गुप्ता)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, केन्द्रीय मुख्यालय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, कोटा।
5. जिला कलेक्टर, बून्दी।
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
8. रक्षित पत्रावली।

—ह०—

वरिष्ठ नगर नियोजक

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(3)नविवि/3/80पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 04/08/2014

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.12.2001 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 02.02.10 एवं 13.08.2010 के द्वारा यथा अधिसूचित 'कोटा मास्टर प्लान, 2023 (पार्ट) के रूप में कैथून मास्टर प्लान, 2023 के नगरीय क्षेत्र' के लिए तैयार किये गये मास्टर-प्लान 2023 को अनुमोदित कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान, 2023 की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, कैथून एवं नगर सुधार न्यास, कोटा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रश्मि शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधिक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान. जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान. जयपुर।
4. अतिरिक्त. मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, कोटा।
6. सचिव, नगर सुधार न्यास, कोटा।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कैथून, जिला कोटा।
9. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)

वरिष्ठ नगर नियोजक